प्रेषक

दीपक त्रिवेदी
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक-11 अगस्त, 2016**

विषय- विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के अनुसार विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:-

(1)- <u>परिशिष्ट-1 के बिन्दु संख्या-17 (1) को निम्नवत् संशोधित/प्रतिस्थापित समझा जाय</u>:-

"प्रत्येक विधान सभा/विधान परिषद क्षेत्र में एक ही रोगी वाहन (एम्बुलेन्स) की सुविधा, रेडक्रास सोसायटी अथवा अन्य प्रतिष्ठित सेवा संस्थानों में से किसी एक को, उपलब्ध कराई जायेगी।"

(2)- <u>परिशिष्ट-1 में बिन्दु संख्या-29 में बिन्दु संख्या-29(क) के रूप में अतिरिक्त नये तथ्यों को निम्नवत् जोड़ा जाय</u>:-

"देश के सभी 'अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान' (एम्स) तथा सभी 'पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सा संस्थान' (पी0जी0आई0), जहॉ रोगियों को उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित चिकित्सालय द्वारा भेजे जाने की संस्तुति की गयी हो, में, मा0 सदस्य चिकित्सकीय सहायता हेतु संस्तुति कर सकते है। ऐसे रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की पात्रता का परीक्षण सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा अधिकतम 07 दिन की अवधि में अवश्य कर लिया जायेगा।"

2- उपरोक्तानुसार विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा समय-समय पर जारी किये गये संगत शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय

दीपक त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-43/2016/407 (1) /अड़तीस-9-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा एवं परीक्षा), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
5- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/नियोजन विभाग/न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा/मा0 सभापति, विधान परिषद, उ0प्र0।
8- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
9- निजी सचिव, मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
10- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
11- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
12- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने जनपद से सम्बन्धित मा0 विधान सभा/विधान परिषद सदस्यों को उक्त शासनादेश की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13- समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
14- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
15- ग्राम्य विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
16- गार्डबुक।

आज्ञा से,

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।